

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक - 29.05.2019

विषय: राज्य योजना, बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य शीर्ष के लिए ₹ 246.70 लाख (₹ दो करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार), अनुसूचित जाति शीर्ष के लिए ₹ 10.20 लाख (₹ दस लाख बीस हजार) एवं अनुसूचित जनजाति शीर्ष के लिए 2.55 लाख (₹ दो लाख पचपन हजार) अर्थात् कुल ₹ 259.45 लाख (₹ दो करोड़ उन्सठ लाख पैतालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गत वर्षों की भाँति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य शीर्ष के लिए ₹ 246.70 लाख (₹ दो करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार), अनुसूचित जाति शीर्ष के लिए ₹ 10.20 लाख (₹ दस लाख बीस हजार) एवं अनुसूचित जनजाति शीर्ष के लिए 2.55 लाख (₹ दो लाख पचपन हजार) अर्थात् कुल ₹ 259.45 लाख (₹ दो करोड़ उन्सठ लाख पैतालीस हजार) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक-31.05.17 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है-

2. (i) उक्त स्वीकृत राशि सामान्य श्रेणी के बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मौंग सं०-26-उप शीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध
13- कार्यालयी व्यय	
0103.13.01 कार्यालय व्यय	25,000
0103.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	1,89,70,000
20- अन्य प्रशासनिक व्यय	
0103.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	10,00,000
21- सामग्री और आपूर्ति	
0103.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	15,40,000
0103.21.02 दवा भंडार	55,000
0103.21.03 आहार / पथ्य	55,000
37- अनुग्रह अनुदान	
0103.37.01 अनुग्रह अनुदान	30,25,000
योग-26-2230.01.103.0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	2,46,70,000

(ii) अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध
21- सामग्री और आपूर्ति	
0104.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	3,36,000
0104.21.02 दवा भंडार	12,000
0104.21.03 आहार / पथ्य	12,000
37- अनुग्रह अनुदान	
0104.37.01 अनुग्रह अनुदान	6,60,000
योग- 26-2230.01.789.0104 - बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण	10,20,000

(₹ दस लाख बीस हजार)।

(iii) अनुसूचित जनजाति के बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध
21- सामग्री और आपूर्ति	
0102.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	84,000
0102.21.02 दवा भंडार	3,000
0102.21.03 आहार/पथ्य	3,000
37- अनुग्रह अनुदान	
0102.37.01 अनुग्रह अनुदान	1,65,000
योग- 26-2230.01.796.0102 - बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण	2,55,000

(₹ दो लाख पचपन हजार)।

अर्थात् (i)+(ii)+(iii) के तहत कुल राशि ₹ 2,59,45,000/- (₹ दो करोड़ उन्सठ लाख पैंतालीस हजार) मात्र।

3. उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल 700 बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

क	बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करना	₹ 5000X700 बाल श्रमिक	35,00,000
ख	विमुक्ति के समय भोजन नास्ता	₹ 100X700 बाल श्रमिक	70,000
ग	विमुक्ति के समय वस्त्र	₹ 500X700 बाल श्रमिक	3,50,000
घ	विमुक्ति के समय दवा	₹ 100X700 बाल श्रमिक	70,000
ड.	विमुक्ति के समय परिवहन	₹ 500X700 बाल श्रमिक	3,50,000
च	30 दिनों का राशन विमुक्ति के पश्चात	₹ 2300 X700 बाल श्रमिक	16,10,000
छ	बाल श्रम उन्मूलन हेतु सेमिनार, सिमपोजियम, जागरूकता आदि	-	10,00,000
ज	बाल श्रमिक कोषांग का कार्यालयी व्यय	-	25,000
झ	उड़नदस्ता दल के लिए संविदा के आधार पर वाहन की व्यवस्था हेतु (38 कार्यालय X @ 1200/- प्रतिदिन X 26 दिन X 12 माह) की दर से	-	1,89,69,600
		कुल योग	2,59,44,600

या 259.45 लाख

(₹ दो करोड़ उनसठ लाख पैतालीस हजार)

4. यह चालू योजना है ।
5. इस योजना के तहत व्यय की जानेवाली राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्रमायुक्त के सचिव/संबंधित सभी उप श्रमायुक्त/संबंधित सभी सहायक श्रमायुक्त/संबंधित सभी श्रम अधीक्षक एवं सभी जिला पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।
6. इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी ।
7. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

31/5/2019
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

जापांक-06/एफ1-303/2018 श्र0सं0-2284

पटना, दिनांक 29.05.2019

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/ सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी जिला कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 (सरकार पक्ष)/प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष)/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/2019
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग